संख्या-13/2020/सा-3-326/दस-2020-308/2016(1)

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इंदिरा भवन, लखनऊ ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक 14 जुलाई, 2020

विषयः चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के दिनांक 24-08-2009 के पूर्व सेवानिवृत्त राजकीय चिकित्सकों/दंत शल्य चिकित्सकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01-01-2016 से पुनर्निर्धारण।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या- 23/2019/सा-648/ 10-2019-308/2016 दिनाँक 09-08-2019 द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त एलोपैथिक पद्धति के राजकीय चिकित्सकों/दन्त शल्य चिकित्सकों की पेंशन (जिसमे पारिवारिक पेंशन सम्मिलित है) के पुनर्निर्धारण के संबंध में आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त के संबंध में निदेशक, पेंशन के पत्र दिनाँक 01-06-2020 द्वारा शासन से यह स्पष्टीकरण चाहा गया है कि दिनाँक 24-08-2009 के पूर्व सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारियों की पेंशन के पुनरीक्षण/पुनर्निर्धारण हेतु उक्त शासनादेश दिनाँक 09-08-2019 के प्रस्तर-4(i) एवं (ii) के अनुसार उनके दिनाँक 01-01-2016 से निर्धारित प्रकल्पित मूल वेतन में प्रैक्टिस बन्दी भत्ता की कितनी धनराशि जोड़ी जायेगी।

2- उपर्युक्त विषय के संबंध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 09-08-2019 के प्रस्तर-4(i) के अनुसार दिनांक 24-08-2009 के पूर्व सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारियों के प्रकरण में, दिनांक 01-01-2016 को पेंशन का पुनर्निर्धारण किये जाने हेतु उनके दिनांक 01-01-2016 से प्रकल्पित रूप से निर्धारित किये जाने वाले मूल वेतन में एन0पी0ए0 की वह धनराशि जोड़ी जायेगी जो संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त के ठीक पूर्व आहरित की गयी थी । इस प्रकार के सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारियों के प्रकरण में उक्त शासनादेश दिनांक 09-08-2019 के प्रस्तर-4(ii) के अनुसार दिनांक 09-03-2019 को उनकी पेंशन का पुनर्निर्धारण किये जाने हेतु भी उनके दिनांक 01-01-2016 से प्रकल्पित रूप से निर्धारित किये जाने वाले मूल वेतन में एन0पी0ए0 की वही धनराशि जोड़ी जायेगी जो संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त के ठीक पूर्व आहरित की गयी थी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उक्त के संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 24-08-2009 से दिनांक 31-12-2015 तक के सेवानिवृत्त चिकित्सकों के प्रकरण में शासनादेश दिनांक 09-08-2019 के प्रस्तर-4(i) के अनुसार दिनांक 01-01-2016 को पेंशन का पुनर्निर्धारण किये जाने हेतु उनके दिनांक 01-01-2016 से प्रकल्पित रूप से निर्धारित किये जाने वाले मूल वेतन में एन0पी0ए0 की वह धनराशि जोड़ी जायेगी जो संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त के ठीक पूर्व आहरित की गयी थी । इस प्रकार के चिकित्साधिकारियों के प्रकरण में उक्त शासनादेश दिनांक 09-08-2019 के प्रस्तर 4(ii) के अनुसार उनकी पेंशन दिनांक 09-03-2019 से निर्धारित किये जाने हेतु उनके दिनांक 01-01-2016 से प्रकल्पित रूप से निर्धारित किये जाने वाले मूल वेतन में इस मूल वेतन की 20 प्रतिशत धनराशि एन0पी0ए0 की धनराशि के रूप में जोड़ी जायेगी।

4- शासनादेश दिनांक 09-08-2019 की शेष व्यवस्थायें यथावत् लागू रहेंगी।

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-13/2020/सा-3-326(1)/दस-2020-308/2016(1) तद्दिनाँक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय (पुरूष/महिला) उत्तर प्रदेश।
8- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
10- वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

पुष्पराज
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।